कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेलः cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 124 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 23 जुलाई, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपके कार्यालय की पत्र संख्या 591/FP/UK/Others/155386/2022 दिनांक 30.08.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में आपत्ति प्राप्त हुई, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर द्वारा अपनी पत्र संख्या 139/12–1 दिनांक 10.07.2024 से आपत्तियों की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से प्राप्त आख्या मय संलग्नकों के संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 124 / **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उनकी पत्र संख्या 139/12–1 दिनांक 10.07.2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 139 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 10/07/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
पंजीकरण संख्या 418
12-1
दिनांक 12-7-24

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. : FP/UK/Others/155386/2022)**

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, उत्तराखण्ड, नैनीताल का पत्रांक 2767/ग्रा0नि0वि0/04–प्रा0/मा0मु0मं0घो0/2023–24 दिनांक 23.03.2024, 632/ग्रा0नि0वि0/04–प्रा0/मा0मु0मं0घो0/2024–25 दिनांक 04.07.2024, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 591/FP/UK/Others/155386/2022 दिनांक 30.08.2022 एवं आपका पत्रांक 1639/12–1 दिनांक 22.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का उत्तरालेख में निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
01	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रपत्र भाग–02 में आवश्यक संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नकः 01)
02	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) के बिन्दु a व b पर सूचना अंकित नहीं की गई है और न ही प्रपत्र पर संस्तुति अंकित की गई है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि स्थल निरीक्षण आख्या में आवश्यक संशोधित कर भेजा जा रहा है। (संलग्नकः 02)
03	प्रस्तावित स्थल एन०एच० एवं रेल पटरी के मध्य स्थित है, कृपया इस सम्बन्ध में एन०एच० एवं रेलवे का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0एच0आई0 एवं रेलवे से अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है। (संलग्नकः 03)
04	प्रस्तावित प्रकरण एवं प्रस्ताव संख्या–155392/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल इस वन प्रभाग में हल्द्वानी राजि में आता है।

उत्तराखण्ड वन विभाग

	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 के बिन्दु X में एक प्रकरण में हाथी रिजर्व होने का उल्लेख किया गया है कि किन्तु दूसरे प्रकरण में हाथी रिजर्व नही होने का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करे।	**(संलग्नकः 04)** उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02 अधिसूचना संख्या 1777/1(2)/व0ग्रा0वि0/ 2002–19(9)/2002 दिनांक 28.10.2002 **(संलग्नकः 05)** से तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर की गदगदिया, भाखड़ा, टाण्डा, पीपलपड़ाव, हल्द्वानी एवं बरहैनी रेन्ज को "शिवालिक एलिफेण्ट रिजर्व" के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
05	प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व होने की दशा में प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नकः 06)**
06	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–7 में सी.डी. प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो उपलब्ध नही करायी गई है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव की 02 सी0डी0 में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नकः 07)**
07	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का मदवार विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। **(संलग्नकः 08)**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0 ...139....../..12-1...... उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।

e No.– 05942–356424 email:- eerwdntl@gmail.com

2767/ग्रा0नि0वि0/04–प्रा0/मा0मु0मं0घो0/2023–24 दिनांक 23-4-2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

विषयः– मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग हल्दुचौड़ में एन0एच0–87 व रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक 2923/12–1 रूद्रपुर, दिनांक 01.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग हल्दुचौड़ में एन0एच0–87 व रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव पर अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा आपत्ति प्रेषित की गयी है।

अतः अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रेषित की गयी आपत्तियों का मदवार निराकरण करते हुए अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्तियों का विवरण	निराकरण आख्या
01	प्रपत्र भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
02	स्थल निरीक्षण आख्या (एस0आइ0आर0) के बिन्दु A व B पर सूचना अंकित नहीं की गयी है, और न हीं प्रपत्र पर सूचना अंकित की गयी है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
03	प्रस्तावित स्थल एन0एच0 एवं रेल पटरी के मध्य स्थित है, कृपया इस सम्बन्ध में एन0एच0 एवं रेलवे का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	एन0एच0ए0आई0 एवं रेलवे से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किये गय है।
04	प्रस्तावित प्रकरण एवं प्रस्ताव संख्या–155392/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 के बिन्द्र X में एक प्रकरण में हाथी रिजर्व होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु दुसरे प्रकरण में हाथी रिजर्व नहीं होने का उल्लेख किया गया है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
05	प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व होने की दशा में प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
06	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–7 में सी0डी0 प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	प्रस्ताव की 02 सी0डी0 संलग्न की जा रही है।
07	प्रस्ताव का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।	परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–नैनीताल।

8/19
12-1
27/04/2024

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,
प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी नैनीताल को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड–नैनीताल।